उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
(उ0प्र0 सरकार अंशधारी शिड्यूल्ड बैंक)
मुख्यालय, 2—महात्मा गांधी मार्ग,

International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World

पीबीएक्स 0522—4151200
फैक्स 0522—2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्राँक : बैंकिंग / 2025—26 / एफ—7 / 205
दिनाँक : 13 नवम्बर, 2025

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखाएं,
उत्तर प्रदेश।

विषयः <u>विविधीकरण योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन के सम्बन्ध में।</u>

आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्रांक—सी—37 / अधि02—3(4) / 2019—20, दिनांक—05.11.2019 के पृष्ठ सं0—2 के बिन्दु सं0—3 में उल्लिखित आयकर रिटर्न जमा करने की अनिवार्य व्यवस्था के सम्बन्ध में संशोधन करते हुए परिपत्रांक—सी—13 / अधि0—2—3(4) / ऋण विविधीकरण योजना / लखनऊ दिनांक—12.11.2025 के माध्यम से आयकर रिटर्न जमा करने की अनिवार्य व्यवस्था, ई—रिक्शा का ऋण स्वीकृत किये जाने हेतु शिथिलता प्रदान कर दी गयी है। अतः बैंक के परिपत्रांक—बैंकिंग / व्यव. / 2019—20 / 95, दिनांक 01.02.2020 के बिन्दु सं0—3 को संशोधित करते हुए ई—रिक्शा का ऋण स्वीकृत किये जाने हेतु आयकर रिटर्न जमा करने की अनिवार्य व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् हैः—

''ई—रिक्शा के ऋण हेतु ''ऋणी से मु0 1.00 लाख रू0 तक ऋणों हेतु विगत वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न तथा मु0 1.00 लाख रू0 से अधिक ऋण की स्वीकृति हेतु विगत तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति नहीं प्राप्त की जायेगी।''

अग्रेतर आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के पूर्व प्रेषित परिपत्रांक—सी—37 / अधि02—3(4) / 2019—20,दिनांक—05.11.2019 के कम में बैंक मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्र सं0—बैंकिंग / व्यव. / 2019—20 / 95, दिनांक—01.02.2020 के माध्यम से दिये गये अन्य दिशा निर्देश यथावत् रहेंगे।

13.XI.25
(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—</u>

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
4. प्रोजैक्ट मैनेजर, मेगासॉफ्ट प्रा0 लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार सीबीएस सॉफटवेयर में आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त परिपत्र को बैंक की वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर—अध्यक्ष प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 मुख्यालय, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ।

13.XI.25
प्रबन्ध निदेशक